प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2025/776 दिनांक 07.05.2025 में अंकित किया कि मौजा ग्राम थड़ौदा में प्रार्थी दिनेश कुमार पिता गोपाल लाल लुहार की स्वयं की शामलाती खातेदारी आराजी नं0 1656/724 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व आराजी नं0 727 रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए खसरा नं0 1081 किस्म गेमु0 सड़क की उतरी दिशा में स्थित बिलानाम आ0नं0 1080 रकबा 0.9874 है0 किस्म गेमु0 खलियान में होता हुआ रास्ता चाहा गया। मौके पर उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का रकबा 0.0434 है0 बनता हैं साथ ही एक न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता है। जिसमें मौके पर बाडे बने हुए हैं। वैकल्पिक रास्ते का रकबा 0.0255 है0 बनता हैं। जो भी आराजी नं0 1080 में ही प्रस्तावित है रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि प्रार्थी द्वारा चाहा गया व वैकल्पिक रास्ता खनिज संभावित व खनिज स्वीकृत क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। तथा NH व SH से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं। ग्रामीण सड़क से लगते हुए तथा आबादी से 108 मीटर की दूरी पर हैं। प्रार्थी जिन आराजीयात में जाना चाहता है। वह शामलाती भूमि हैं। प्रार्थी का हिस्सा 13/16 दर्ज रेकॉर्ड हैं। व रास्ते हेतु चाही गयी भूमि आ0नं0 1080 रकबा 0.9874 है0 गेमु0 खलियान दर्ज रेकॉर्ड है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व न्यूनतम दूरी के रास्ते (प्रस्तावित) संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

ग्राम थड़ोदा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया हैं आराजी नं0 1080 रकबा 0.9874 है0 में से रकबा 0.0434 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 646600/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियात 28063/– रूपये का दुगुना से 56126/– रूपये की राशि बनती है। व न्यूनतम दूरी के प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ते की भूमि आ0नं0 1080 रकबा 0.9874 है0 में से रकबा 0.0255 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 646600/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियात 16489/– रूपये का दुगुना से 32978/– रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया।

उक्त प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया हैं ग्राम थड़ोदा की आराजी नं0 1080 रकबा 0.9874 है0 में से रकबा 0.0434 है0 भूमि में रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियां

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित खाता संख्या 617 खसरा संख्या 1656/724 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खाता संख्या 616 खसरा संख्या 727 रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिये विपक्षी की मौजा ग्राम थड़ोदा की आराजी नं0 1080 रकबा 0.9874 है0 में से रकबा 0.0434 हैक्टेयर भूमि प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 646600/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियात 28063/– रूपये का दुगुना से 56126/– रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 25/06/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
राजस्व पखवाड़ा 2025, बिजौलियां